

10.3.2025

वकील उभयपक्ष उपस्थित दोनो पक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया तथा सुसंगत विधि का प्ररिशिलन किया गया प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों तथा विधिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए दोनो पक्षों को पांबद किया जाता है कि वे मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 3 ता 5 में वर्णित चक 20 एमजेडी खाता संख्या 51/49 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 की विवादित कृषि भूमि को बैचान व खुर्द बुर्द करने एव एक दूसरे के कब्जाकाशत में दखल अंदाजी करने से निषेद्य रहेंगे। तथा उभय पक्ष अपने हक हिस्सा अनुसार अपनी कृषि भूमि को रहन या अन्य कोई कृषि भूमि संबंधी योजना का लाभ लेने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

HC

10/3/25
Rajesh